



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

23 आषाढ़ 1948 (श10)
(सं० पटना 769) पटना, मंगलवार, 14 जुलाई 2026

सं० 11/वि०1-विविध 02/05 को०-5615
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग

संकल्प

18 नवम्बर 2009

विषय : राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन।

सरकार राज्य में अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक, सामाजिक, आर्थिक आदि क्षेत्रों में सम्यक विकास हेतु कृत संकल्प है। एक कल्याणकारी सरकार के रूप में राज्य सरकार का दायित्व है कि वह समतामूलक समाज की स्थापना हेतु समाज के सभी अत्यंत कमजोर वर्गों के उत्थान हेतु कल्याणकारी कार्य करे तथा समाज में सदियों से उपेक्षित और शोषित वर्ग को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास करें इस परिपेक्ष्य में अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास एवं अभिवृद्धि तथा उनके रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करने के लिए राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन का निर्णय लिया गया है।

2. उक्त उद्देश्य हेतु आयोग का गठन निम्न प्रकार किया जायेगा।—

(क) अध्यक्ष

(ख) उपाध्यक्ष

(ग) तीन सदस्य।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्यों का मनोनयन राज्य सरकार के द्वारा किया जाएगा।

3. आयोग के कार्य एवं दायित्व।—

(क) अनुसूचित जनजातियों के लिए उपबंधित रक्षोपायों से संबंधित सभी मामलों का अन्वेषण और अनुश्रवण करना और ऐसे रक्षोपायों की कार्यप्रणाली का मूल्यांकन करना।

(ख) अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों और रक्षोपायों से वंचित किए जाने के संबंध में विशिष्ट शिकयतों की जांच करना।

(ग) राज्य सरकार को उन रक्षोपायों की कार्यप्रणाली पर आर्थिक और ऐसे अन्य विषयों पर जैसा उचित समझे प्रतिवेदन प्रस्तुत करना।

- (घ) अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण कल्याण, विकास और अभिवृद्धि के संबंध में ऐसे अन्य कृत्यों का जो राज्य सरकार द्वारा उसको निर्दिष्ट किए जाएं, निर्वहन करना।
- (ङ) अन्य कोई विषय जो सरकार आयोग को सौंपे।

नोट—

- (i) आयोग सरकार के अनुमोदन से आर्थिक एवं सामाजिक अध्ययन के लिए सरकारी विभागों या अन्य किसी संस्था की सहायता ले सकेगा।
 - (ii) आयोग अपने कार्यों के सम्पादन हेतु राज्य सरकार के किसी विभाग या अधिकारी से आवश्यक सूचना मांगने तथा अधिकारियों की बैठक बुलाने हेतु सक्षम होगा।
 - (iii) आयोग कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के उद्देश्यों के प्रतिकूल हो।
4. (क) अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल पदभार ग्रहण की तिथि से तीन वर्षों की अवधि तक रहेगा।
- (ख) कोई भी सदस्य अथवा अध्यक्ष राज्य सरकार को सम्बोधित स्वलिखित पत्र प्रेषित कर किसी भी समय अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं।
- (ग) राज्य सरकार किसी अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को उपर्युक्त कारण से (जो बाद में विहित किय जा सकेगा) उनके पद से विमुक्त कर सकती है।

5. आयोग के पदाधिकारी तथा अन्य कर्मचारी की सेवा, जो आयोग के हित में हो राज्य सरकार (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) द्वारा उपलब्ध करायी जाएगी। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष एवं सदस्यों को अनुमान्य सुविधा तथा आयोग में पदस्थापित सचिव, अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारियों की सेवा शर्तें सरकार द्वारा बाद में विहित की जाएगी।

राज्य सरकार अखिल भारतीय सेवा, केन्द्रीय सेवा अथवा राज्यान्तर्गत सेवा के किसी सेवारत या सेवानिवृत्त पदाधिकारी को आयोग के सचिव के पद पर नियुक्त/मनोनीत करेगी।

6. वित्त लेखा एवं अंकेक्षण।—

- (क) राज्य सरकार (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग) अनुदान के रूप में आयोग का कार्य चलाने हेतु एवं उसके कार्यों के प्रयोजनार्थ निधि उपलब्ध कराएगी।
- (ख) आयोग द्वारा प्रतिवेदन राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाएगा, जिस पर राज्य सरकार के द्वारा निर्णय लिया जाएगा।

7. राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का प्रशासी विभाग अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग होगा।

आदेश — अतः यह आदेश है कि सर्वसाधारण की जानकारी के लिए इसे राजकीय गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाए और इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना/बिहार लोक सेवा आयोग/सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/मुख्यमंत्री सचिवालय/बिहार विधान सभा/बिहार विधान परिषद को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी जाए।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,
सरयुग प्रसाद,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 769-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>